संख्या–2289/18(2)/2011–07(86)/2008

253

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
(उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल एवं देहरादून)
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 16 दिसम्बर, 2011

विषय–राज्य के मैदानी जनपदों/क्षेत्रों में सीजनल संग्रह अमीन, सीजनल संग्रह अनुसेवक एवं सीजनल सहायक वासिल वाकी नवीसों हेतु संग्रह अमीन के 104 पद एवं संग्रह अनुसेवक के 87 एवं सहायक वासिल वाकी नवीस के 9 पद सृजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में सीजनल कार्मिकों को वेतन एवं भत्ते अनुमन्य कराये जा रहे हैं। उक्त सीजनल कार्मिकों के विनियमितीकरण हेतु स्वीकृत पद उपलब्ध नहीं है जिसके कारण इनका विनियमितीकरण संभव नहीं हो पा रहा है।

2. उपरोक्त जनपदों में सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत/रिक्त पद एवं सीजनल रूप से कार्यरत कार्मिकों का जनपदवार विवरण निम्नवत हैः–

क्रं0	जनपद का नाम	सृजित पदों की संख्या			रिक्त पदों की संख्या			अतिरिक्त पद सृजन की आवश्यकता		
		सं0 अमीन वेतनमान रू 5200–20200 ग्रेड पे–2000	स0 वा0 व0 न0 वेतनमान रू 5200–20200 ग्रेड पे–1900	अनुसेवक वेतनमान रू 5200–20200 ग्रेड पे–1800	अमीन	अनुसेवक	सा0वा0व0न0	अमीन	अनुसेवक	सा0 वा0 वा0 न.
1	हरिद्वार	56	56	0	22	15	–	33	30	0
2	देहरादून	60	60	6	03	7	–	34	30	6
3	उधमसिंह नगर	44	44	0	14	13	–	28	18	2
4	नैनीताल	30	30	3	08	8	–	09	9	1
कुल योग		**190**	**190**	**9**	**47**	**43**	**–**	**104**	**87**	**9**

3. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पूर्व में सृजित एवं विभिन्न कारणों से जनपदवार रिक्त पदों को उपलब्ध सीजनल संग्रह अमीन,सीजनल संग्रह अनुसेवकों एवं सहायक वासील वाकी नवीसों के समायोजन किए जाने के उपरान्त वर्ष 2000–2001 से पूर्व नियुक्त ऐसे सीजनल संग्रह स्टाफ जो इस समायोजन के उपरान्त भी समायोजित नहीं होते हैं, उनके लिये संग्रह अमीन के 104,संग्रह अनुसेवक के 87 एवं सहायक वासिल वाकी नवीस के 9 अस्थाई पदों के सृजन की तथा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि या नियुक्ति की तिथि जो भी बाद में हो, से 28.2.2012 तक के लिये इस प्रतिबन्ध

.....2

के अधीन कि उनको बिना पूर्व नोटिस के पहले ही न समाप्त कर दिया जाय, बनाये रखने की भी श्री राज्यपाल, निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

i. सीजनल संग्रह कार्मिकों हेतु उक्त सृजित पदों को प्रथम बार शत प्रतिशत सीजनल संग्रह कार्मिकों द्वारा ही भरा जायेगा।

ii. इन पदों पर नियुक्त कार्मिकों की सेवा निवृत्ति, त्याग पत्र अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर, रिक्त पदों को तभी भरा जाएगा जबकि तत्समय लागू वसूली के मानक के अनुरूप जनपद में पदों की आवश्यकता हों अन्यथा तत्समय लागू मानक से अधिक पद स्वतः निरस्त समझे जाऐंगे। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर किसी भी दशा में नई भर्तियां नहीं की जायेगी ।

iii. जनपदवार पदों का विवरण एवं आरक्षण की पूर्ण स्थिति से शासन को तत्काल अवगत कराया जायेगा एवं यथाआवश्यकता इस सम्बन्ध में शासन के दिशा निर्देश अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे ।

iv. विनियमितीकरण की कार्यवाही, विनियमितीकरण नियमावली, 2011 के अनुरूप की जायेगी ।

v. इन सृजित पदों पर विभिन्न कारणों से रिक्त होने के उपरान्त कोई भी नई भर्ती करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी ।

vi. इन पदों पर विनियमितीकरण के लिये उमा देवी मामलें में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देशों का भी संज्ञान लिया जायेगा ।

4. उक्त पदों पर होने वाला व्यय संबंधित वित्तीय वर्ष के आय–व्यय अनुदान सं0–6 लेखा शीर्षक 2029–भू राजस्व–101 संग्रहण प्रभार –03, भू राजस्व (माल गुजारी) तकाबी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार के अंतर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–177 NP/XXVii(5)/2011–12 दिनांक 16 दिसम्बर,2011 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(पी0 सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृ0प0सं0–2280/ समदिनांकित/2011

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली ।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

1042UO LETTERS